अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
10/01/2022	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **राँची रिवन्यू रिविजन 251/1994** **दिलीप मुण्डा बनाम् हरदयाल मिधा व अन्य** **आदेश** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदकों के द्वारा अपर समाहर्ता, राँची के स्तर से अपील नम्बर–209 –R-15/1992-93 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। प्रश्नगत् वाद दिनांक–15.03.1999 में आवेदक के लगातार अनुपस्थिति के कारण खारिज कर दिया गया, जिसके पश्चात् आवेदकों के अनुरोध पर दिनांक–12.11.2001 को इस वाद को पुनःस्थापित किया गया। विपक्षियों के उचित पते को प्राप्त करने एवं उन्हें नोटिस का तामिला करने का काफी समय व्यतीत हुआ। उभय पक्ष के तरफ से कुछ सदस्यों के मृत्यु के कारण प्रतिस्थापन की कार्रवाई भी की गयी। अंततः दिनांक–27.12.2021 को सुनवाई की गयी तथा उभय पक्षों के स्तर से लिखित बहस भी दायर की गयी। आवेदक की तरफ से यह कहा गया है कि प्रश्नगत् वाद में ग्राम–बड़गाई, राजस्व थाना नम्बर–184, खाता नम्बर–100, प्लॉट–2648, रकबा–1.03 एकड़ भूमि सन्निहित है, जो खतियान में रतिया मुण्डा, जीतना मुण्डा, रोकला मुण्डा के नाम से दर्ज है। विपक्षी संख्या–09 से 14 के साथ छल–प्रपंच करते हुये विपक्षी संख्या–01 से 08 के द्वारा विनियमन पदाधिकारी के समक्ष वाद संख्या–33/84–85 दायर किया गया। विनियमन पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत् भूमि पर उपायुक्त द्वारा अनुमति, उक्त भूमि पर अवस्थित संरचना तथा निबंधित दस्तावेज के कारण प्रश्नगत् वाद में क्षतिपूर्ति राशि–10,000/– रुपया प्रति कट्ठा निर्धारित कर दिया गया, जबकि उपरोक्त विषयक कोई कागजात विपक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये थे। विशेष पदाधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान एक आवेदक जितना मुण्डा की मृत्यु हो गयी किन्तु उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया गया, जबकि अपीलीय न्यायालय में उसी जितना मुण्डा को पुनः पक्षकार बनाया गया। क्षति पूर्ति आदेश के विरूद्ध विपक्षी क्रमांक–01–09 के द्वारा अपर समाहर्ता के समक्ष अपील दायर की गयी, जिसमें क्षति पूर्ति राशि के निर्धारण पर सुनवाई हेतु वाद को विशेष पदाधिकारी के समक्ष पुनःप्रेषित किया गया। विशेष पदाधिकारी द्वारा उक्त	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	भूमि को बहुमूल्य बताते हुये 10,000/– प्रति कट्ठा का मूल्य कायम रखा, जिस पर दायर अपील में अपर समाहर्ता द्वारा भूमि का क्षति पूर्ति राशि 4,000/– रुपया प्रति कट्ठा निर्धारित कर दिया गया। उपरोक्त अपील में पक्षकार जितना मुण्डा व महादेव मुण्डा की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी थी किन्तु उनके वारिस को पक्षकार बनाये बगैर मृत व्यक्तियों के विरूद्ध आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश में क्षति पूर्ति की राशि महादेव मुण्डा की पत्नी दशमी मुण्डाईन को भुगतान की गयी, जबकि आवेदक दिलीप मुण्डा उक्त समय बालिग थे। इस प्रकार निम्न् न्यायालयों में यह दोनों वाद मिली–भगत से दायर करते हुये आदेश प्राप्त किया गया। क्षति पूर्ति की राशि प्रभावित व्यक्तियों के पुर्नवास का ध्यान रखते हुये किया जाना है किन्तु अपर समाहर्ता द्वारा निबंधित दस्तावेजों को आधार बनाते हुये विशेष पदाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि को घटा दिया गया। इस प्रकार यह आदेश पूर्णतः अनुचित है, जिसे रद्द करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षियों की तरफ से कहा गया कि प्रश्नगत् मामले में विशेष पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के आलोक में मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है तथा विपक्षी संख्या–09 से 14 तक सभी व्यक्तियों को मुआवजा प्राप्त हो चुका है। दशमी मुण्डाईन जो महादेव मुण्डा की पत्नी थी, उन्हें दिनांक–07.07.1984 को राशि का भुगतान किया जा चुका है, क्योंकि वह ही अपनी पति की उत्तराधिकारी थी। मुआवजा भुगतान के पश्चात् आवेदक पुनः इस वाद के माध्यम से भूमि वापसी पर विचार करने का प्रयास करा रहे हैं। अपर समाहर्ता द्वारा स्पष्ट आदेश पारित किया जा चुका है तथा विपक्षी संख्या–09 से 14 जो आवेदकों की अन्य हिस्सेदार है के द्वारा इस वाद में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। स्पष्टतः यह पुनरीक्षण वाद मात्र विपक्षियों को परेशान करने की उद्देश्य से दायर किया गया है। एक बार आवेदक के मां के द्वारा राशि स्वीकार किये जाने के पश्चात् उनके पुत्र के द्वारा पुनः राशि की मांग किया जाना पूर्णतः अनुचित है। निम्न् न्यायालयों के अभिलेख तथा उभय पक्षों के सुनवाई से यह स्पष्ट होता है कि विशेष पदाधिकारी के समक्ष विपक्षी क्रमांक–01 से 08 के द्वारा विवादित जमीन को लंगरू मुण्डा बगैरह से अनुमति प्राप्त कर क्रय करने का दावा किया गया था। उक्त अनुमति उपायुक्त द्वारा वाद संख्या–4RA/02- 62-63 के माध्यम से प्राप्त करने का उल्लेख अपने कारण–पृच्छा में किया गया था। किन्तु विपक्षियों के द्वारा इस कथित परमिशन वाद अथवा निबंधित केवाला अथवा नगर निकाय द्वारा प्रस्तुत टैक्स रसीद प्रस्तुत नहीं किये गये। विशेष पदाधिकारी के न्यायालय के	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	आदेश से यह भी स्पष्ट होता है कि लगरू मुण्डा एवं बुच्चू मुण्डा, रतिया मुण्डा के पुत्र थे। इस प्रकार पिता की जीवित रहते हुये पुत्रों के द्वारा उपायुक्त के न्यायालय से कथित अनुमति प्राप्त करना पूर्णतः संदेहास्पद एवं परम्परा के विपरीत है। विशेष पदाधिकारी के समक्ष विपक्षी अपना दावा सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहे, जिसके आधार पर उक्त भूमि का अंतरण धारा–46 के प्रतिकूल होने का स्पष्ट निष्कर्ष उल्लेखित है। उक्त आदेश में विपक्षियों के बयान के अनुसार राजेश किंगर एवं हरदयाल मिधा के दखल में 32 कट्ठा तथा अमर सिंह के दखल में 30 कट्ठा भूमि होने का एवं उक्त भूमि पर 1969 के पूर्व फैक्ट्री निर्माण करने के दावे को मान्य कर दिया गया। स्पष्टतः यह आदेश विरोधाभाषी है क्योंकि स्वयं विशेष पदाधिकारी द्वारा विपक्षियों के स्तर से कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं कराये जाने का उल्लेख किया गया है। मात्र विपक्षियों के बयान पर विशेष पदाधिकारी के द्वारा इस वाद में भूमि वापसी का आदेश नहीं देकर मुआवजा भुगतान का आदेश पारित कर दिया गया। स्पष्टतः यह आदेश काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। धारा–71 परन्तुक–II के अन्तर्गत कोई भी आदेश पारित करने के पूर्व यह स्पष्ट निष्कर्ष आवश्यक है कि प्रश्नगत् भूमि पर Schedule Area Regulation–1969 के प्रभावी होने के पूर्व समुचित निर्माण किये गये थे। निम्न् न्यायालय के अभिलेखों में मात्र 1987 का एक Municipal रसीद उपलब्ध है। विशेष पदाधिकारी के समक्ष विपक्षियों के द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि उनके स्तर से पारित मुआवजा की राशि को पुनर्विचार किया जाये क्योंकि यह राशि अत्यधिक है। इस बिन्दु पर आदिवासी रैयतों के स्तर से आपति भी दर्ज करायी गयी थी। यह भी विचारणीय है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा विशेष पदाधिकारी के स्तर से पारित आदेश की समीक्षा नहीं की गयी तथा इस सम्पूर्ण विषय को मात्र समुचित मुआवजा के बिन्दु पर ही विचार किया गया। गैर आदिवासी व्यक्तियों के अपील आवेदन पर पूर्व से गलत तरीके से निर्धारित मुआवजा को अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः कम करते हुये 4,000/– रुपया प्रति कट्ठा कर दिया गया। इस दर का निर्धारण उक्त क्षेत्र में उक्त समय भूमि के निबंधन दर के आधार पर किया गया। स्पष्टतः इसे विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता। अपील दायर करने के पूर्व ही महादेव मुण्डा की मृत्यु हो चुकी थी किन्तु उसके पश्चात् भी उन्हें प्रश्नगत् अपील में द्वितीय पक्ष के रूप में रखते हुये अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। दिनांक–23.05.1994 में आदेश पारित करने के पश्चात् दिनांक–07.07.1994 को ही अपीलार्थी अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हुये एवं उनके द्वारा आदिवासी रैयतों को उपस्थित कराते हुये उन्हें बैंक ड्राफ्ट	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	प्राप्त करा दिये गये। विचारणीय है कि यह कार्य अपीलीय न्यायालय का नहीं था, अपितु यह कार्य विशेष पदाधिकारी अथवा अंचल अधिकारी के स्तर से किया जाना था। इस न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दिनांक–27.09.1994 को दायर हुआ, जिसके पूर्व ही मुआवजा भुगतान की कार्रवाई पूर्ण करा दी गयी। अपील न्यायालय द्वारा की गयी सम्पूर्ण कार्रवाई एक पक्षीय एवं मात्र गैर आदिवासी व्यक्तियों को मदद करने की नियत से की गयी प्रतीत होती है। विशेष पदाधिकारी के स्तर से प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण धारा–46 के प्रावधानों के विपरीत किये जाने का स्पष्टः निष्कर्ष अंकित करने के पश्चात् भी अपीलीय न्यायालय द्वारा मात्र मुआवजा की राशि पर ही विचार किया गया तथा उक्त राशि को कम भी कर दिया गया। दिनांक–26.07.1994 को अपीलीय न्यायालय के आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि जितना मुण्डा की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण उन्हें मुआवजा की राशि उनके वारिसों को दे दी जाये। इसी प्रकार महादेव मुण्डा की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसका उनकी पत्नी दसमी मुण्डाईन को इस वाद में प्रतिस्थापित करते हुये मुआवजा की राशि भुगतान की जाये। घुरना मुण्डा की मृत्यु के कारण उनकी पत्नी सुपरा मुण्डाईन को प्रतिस्थापित करते हुये राशि का भुगतान किया गया। विचारणीय है कि जितना मुण्डा, महादेव मुण्डा यह दोनों अपीलीय न्यायालय के समक्ष विपक्षी क्रमांक–01 एवं 02 के रूप में अंकित है। अपीलार्थियों के द्वारा उक्त विपक्षी क्रमांक–01 एवं 02 की मृत्यु होने अथवा उन्हें प्रतिस्थापित करने के बिन्दु पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। दिनांक–23.05.1994 को अपर समाहर्ता के द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया। आश्चर्यजनक तरीके से दो माह के पश्चात् दिनांक–07.07.1994 को मृतक पक्षकारों को प्रतिस्थापित करते हुये मुआवजा का भुगतान कर दिया गया। स्पष्टतः अपर समाहर्ता के न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये विपक्षी क्रमांक–01 से 08 तक को लाभान्वित करने के दृष्टिकोण से यह सभी कार्य किये गये है। प्रश्नगत् वाद में किसी भी न्यायालय द्वारा भूमि के हस्तांतरण की वैधता अथवा प्रश्नगत् भूमि पर किये गये कथित निर्माण की जाँच, उक्त निर्माण के वर्ष आदि बिन्दुओं पर कोई विचार नहीं किया गया एवं मात्र गैर आदिवासी व्यक्तियों के द्वारा किये गये दावों के आधार पर आदेश पारित कर दिये गये। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में आदिवासी रैयतों के भूमि के रक्षा हेतु किये गये विशेष प्रावधानों को पूर्णतः दरकिनार करते हुये यह आदेश पारित किये गये है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करते हुये अपर समाहर्ता तथा विशेष पदाधिकारी के स्तर से पारित आदेशों को रद्द किया जाता है। प्रश्नगत् भूमि निर्विवाद रूप से आदिवासी	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	खाते की भूमि है, जिसे गैर आदिवासी व्यक्तितों के द्वारा न्यायालयों की सहभागिता से वैध कराने का प्रयास किया गया है। अतः उक्त भूमि आदिवासी रैयत/उनके वारिसों को वापस लौटाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की एक प्रति अनुपालन हेतु उपायुक्त, राँची को प्रेषित करें। उपायुक्त को निदेशित किया जाता है कि वे खतियानी रैयत के वारिसों को उचित पहचान करते हुये दखल दिहानी सुनिश्चित करेंगे। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त।10/11/22 आयुक्त।10/11/22	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.09.14 17:47:08 +05:30
Location: 192.168.1.35